

आदेश

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-4229, दिनांक-23.05.2017 तदनुसार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक-6860/पी03, दिनांक-13.06.2017 के आलोक में पुलिस मुख्यालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय अनुकंपा समिति की बैठक दिनांक-04.12.2018 को आयोजित किया गया। उक्त बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित प्रस्तावों को सिपाही पद हेतु अनुशंसित किया जाता है :-

क्र० सं०	आश्रित का नाम/संबंध/कोटि	मृत पदा०/कर्मि नाम/पदनाम/अंतिम पदस्थापन /मृत्यु का कारण	सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि/आवेदन समर्पित करने की तिथि	नियुक्ति हेतु पद का नाम	पिता/पति की मृत्यु की तिथि को आवेदक/आवेदिका की उम्र/शारीरिक माप	नियुक्ति हेतु कार्यालय का नाम	समिति का निर्णय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ममता देवी/ पत्नी/ अनु०जाति	स्व० मोती लाल प्रसाद/जे०सी०- 1085/एस०टी०एफ० /सड़क दुर्घटना	07.03.18 11.06.18	सिपाही	उम्र 28 वर्ष 01 माह 24 दिन /ऊँचाई-148 से०मी०/	-	अनुशंसित आवेदिका को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कॉलम-9 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाई की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।	ऊँचाई में 7 से०मी० मार्जन की आवश्यकता।
2	अनामिका कुमारी/पत्नी /अ०पि०व०	स्व० अजय कुमार मंडल/जे०सी०-376 /एस०टी०एफ०/ उग्रवादी मुठभेड़	10.08.16 21.07.18	सिपाही	उम्र 23 वर्ष 03 माह 09 दिन /ऊँचाई-147 से०मी० (4फीट 10 इंच)	-	अनुशंसित आवेदिका को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कॉलम-9 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाई की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।	ऊँचाई में 8 से०मी० मार्जन की आवश्यकता।
3	अजित कुमार /पुत्र/ पि०व०	स्व० उमेश कुमार सिंह/पु०अ०नि०/ अप०अनु०वि०/ किडनी रोग	03.07.16 -	सिपाही	उम्र 24 वर्ष 01 दिन/ ऊँचाई-170 से०मी०/सीना -91-96 से०मी०	वैशाली	अनुशंसित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।।	
4	सैयद आमिर एहसान/पुत्र	स्व० सैयद एहसानुल्लाह/ प्रा०अ०नि०/ अप०अनु०वि०/कैंसर	18.06.16 30.11.16	सिपाही	उम्र 17 वर्ष 10 माह 20 दिन (वर्तमान उम्र 18 वर्ष से अधिक) /ऊँचाई-175 से०मी०/ सीना-85-90 से०मी०	भोजपुर	अनुशंसित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।	

5	सागर कुमार /पुत्र/ अनुजाति	स्व० किशोरी प्रसाद रजक/स०अ०नि० /अप०अनु०वि०/ ब्रेन-हेम्रेज	25.03.17 03.11.17	सिपाही	उम्र 19 वर्ष 05 माह 21 दिन /ऊँचाई-165 से०मी०/ सीना-92-97 से०मी०	पटना	अनुशासित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।	
6	गुलशन कुमार /पुत्र/ अनारक्षित	स्व० बलराम सिंह/ सि०-236/ अप०अनु०वि०/ ब्रेन-हेम्रेज	02.02.18 28.05.18	सिपाही	उम्र 25 वर्ष 09 माह 24 दिन /ऊँचाई-174 से०मी०/ सीना-88-94 से०मी०	-	अनुशासित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कॉलम-9 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय	उम्र में 09 माह 24 दिन मार्जन की आवश्यकता ।
7	सरवर हुसैन /पुत्र/ अनारक्षित	स्व० अरसद हुसैन खाँ/हव०/ अप०अनु०वि०/ बीमारी	19.08.17 31.03.18	सिपाही	उम्र 21 वर्ष 07 माह 18 दिन /ऊँचाई-175 से०मी०/ सीना-90-95 से०मी०	भोजपुर	अनुशासित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।	
8	आशीष कुमार सिंह/पुत्र/ पि०व०	स्व० रविन्द्रनाथ सिंह/चा०सि०/ परि०मु०/-	20.07.17 19.06.18	सिपाही	उम्र 22 वर्ष 08 माह 16 दिन /ऊँचाई-167. 3 से०मी०/सीना -85-90 से०मी०	पटना	अनुशासित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।	
9	धर्मजय पाल /पुत्र/ अनुजाति	स्व० बालेश्वर राम/ पु०अ०नि०/ विशेष शाखा/ बीमारी	16.05.17 04.12.17	सिपाही	उम्र 29 वर्ष 03 माह 03 दिन /ऊँचाई-155. 5 से०मी०/ सीना-85-89 से०मी०	-	अनुशासित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कॉलम-9 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्रवाई की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय	ऊँचाई में 4.5 से०मी० एवं सीना फुलाव में 1 से०मी० मार्जन की आवश्यकता है।

10	प्रेम रजक/पुत्र/अनुजाति	स्व0 अनिल रजक/अनुचर/वितन्तु/ब्लड कैंसर	01.04.17 03.07.17	सिपाही	उम्र 30 वर्ष 11 माह 06 दिन /ऊँचाई-167.5 से0मी0/सीना-96-101 से0मी0	-	अनुशासित आवेदिका को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु कॉलम-9 के अनुसार सक्षम प्राधिकार से वांछित मार्जन प्राप्त करने के उपरांत ही नियुक्ति की कार्यवाई की जाय तथा नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय	उम्र में 11 माह 06 दिन मार्जन की आवश्यकता है।
11	साकिब उमर /पुत्र/अ0पि0व0	स्व0 अब्दुल मन्नान अंसारी/स0अ0नि0/वितन्तु/हेपटाईटिस	15.0506 11.12.06 (प्रथम पुत्र हेतु) 11.05.09 (छोटे पुत्र हेतु)	सिपाही	वर्तमान उम्र 18 वर्ष से अधिक /ऊँचाई-176 से0मी0/सीना -92-97 से0मी0	जहानाबाद	अनुशासित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।	
12	अंकित सिंह /पुत्र/अनारक्षित	स्व0 लक्ष्मण सिंह /हवलदार/पु0मु0/बीमारी	26.09.18 19.11.18	सिपाही	20 वर्ष 06 माह 20 दिन /ऊँचाई -176.6 से0मी0/सीना -87-92 से0मी0	पटना	अनुशासित आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति के पूर्व आश्रितों में से किसी के सरकारी सेवा में/अन्य सेवा में नियोजित नहीं होने की सत्यता की जाँच करा ली जाएगी तथा अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर संतुष्ट हो लिया जाय।	

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार,

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-350/403391/पी0-3

43-38-13-2013

पुलिस महानिदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:- 27-12-2018

प्रतिलिपि :-

1. सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, वैशाली/भोजपुर/जहानाबाद/एस0टी0एफ0/पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग/पुलिस अधीक्षक (अ0), विशेष शाखा/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (क्यू0), बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, वितन्तु/पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस परिवहन मुख्यालय/पुलिस मुख्यालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

- अनुरोध है कि नियुक्ति से पूर्व आवेदकों/आवेदिकाओं की जन्मतिथि/शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं अन्य आश्रितों के सरकारी सेवा में अनियोजन प्रमाण-पत्र का सत्यापन करा लेने के पश्चात सभी प्रकार से भली भाँतिपूर्वक संतुष्ट होने के उपरान्त अनुशासित आवेदकों/आवेदिकाओं की नियुक्ति हेतु नियमानुकूल आवश्यक कार्यवाई की जाय।

- दूसरे कार्यालय में पदस्थापित आवेदकों/आवेदिकाओं का अन्य सभी कागजात (मूल में) उनके नये पदस्थापन कार्यालय को 01 (एक) सप्ताह के अन्दर भेज दिया जाय।

-संबंधित आवेदकों/आवेदिकाओं का पुलिस मुख्यालय में रक्षित सभी मूल कागजात अग्र्यतर क्रियार्थ संलग्न है। आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना।